



2026:AHC: 171742

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 1187 वर्ष 2026

किशोर एक्स

.....पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता : राजेश कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह, शंभवी नंदन
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : अमित कुमार तिवारी, शासकीय अधिवक्ता, राम यश
चौहान

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज दाखिल किया गया पूरक शपथ पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज दाखिल किया गया प्रतिशपथ पत्र भी अभिलेख पर लिया जाता है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता और साथ ही राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने नैसर्गिक अभिभावक के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 (जिसे इसके पश्चात "जे.जे. अधिनियम, 2015" कहा गया है) की धारा 102 के अंतर्गत दाखिल किया गया है, जिसमें वर्तमान पुनरीक्षण को स्वीकार करने और आपराधिक अपील संख्या 08 वर्ष 2026 में विद्वान विशेष न्यायाधीश (पाँक्सो अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वाराणसी द्वारा पारित निर्णय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



और आदेश दिनांक 21.01.2026 के साथ-साथ किशोर न्याय बोर्ड, वाराणसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2026 को अपास्त करने की मांग की गई है। आगे यह प्रार्थना की गई है कि उपरोक्त आदेशों के प्रवर्तन पर रोक लगाई जाए और थाना लोहता, जिला वाराणसी में बी.एन.एस. की धारा 65(2) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5एम/6 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 321 वर्ष 2025 में पुनरीक्षणकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस वाद में, वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। कथित घटना के समय अपचारी की आयु लगभग 16 वर्ष थी। चूंकि, प्रथम सूचनादाता पुनरीक्षणकर्ता के घर में किरायेदार था, यही कारण था कि पक्षकारों के बीच किराये के विवाद के कारण झूठे आरोप के साथ वर्तमान एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। चिकित्सीय परीक्षण के दौरान, लगभग 5 वर्ष की बताई गई पीड़िता के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई। आगे प्रस्तुत किया गया कि यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है कि पुनरीक्षणकर्ता ने वह अपराध किया है जैसा कि स्वयं पीड़िता ने कहा है। जिला परीवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्तमान अपचारी के प्रतिकूल कुछ भी नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अंतर्विष्ट प्रावधानों पर किशोर न्याय बोर्ड और साथ ही अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। विद्वान जे.जे. बोर्ड ने जमानत प्रार्थना पत्र निर्णीत करते समय इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया और विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी अपील खारिज करते समय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार नहीं किया, जिसे विधिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। अपचारी 22.11.2025 से किशोर संप्रेक्षण गृह में है और उसकी मानसिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए, जे.जे. बोर्ड और साथ ही अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने और आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता और साथ ही विद्वान ए.जी.ए. ने पूर्वोक्त प्रार्थना का विरोध किया।

वाद के तथ्यों और परिस्थितियों, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और साथ ही विद्वान ए.जी.ए. द्वारा प्रस्तुत अभिवेदनों, अभिलेख के परिशीलन, एफ.आई.आर. की विषयवस्तु, अपचारी की आयु, पीड़िता के बयान, उस अवधि जितने समय वह संप्रेक्षण गृह में रहा, और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अंतर्विष्ट प्रावधानों और डी.पी.ओ. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विचार करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि जे.जे. बोर्ड और साथ ही अपीलीय न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों और अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर उचित तरीके से विचार नहीं किया है, बल्कि अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना आदेश पारित कर दिया है। इस प्रकार, इस पुनरीक्षण में आधार प्रतीत होता है और किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।

तदनुसार, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2026 और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2026 को एतद्वारा अपास्त किया जाता है और वर्तमान अपराधिक पुनरीक्षण एतद्वारा **स्वीकार** किया जाता है।

यह निर्देश दिया जाता है कि अपचारी/आवेदक को पुनरीक्षणकर्ता (अपचारी के विधिक अभिभावक) द्वारा व्यक्तिगत बंधपत्र और संबंधित किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि के लिए समान राशि के दो प्रतिभू निष्पादित करने पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) पुनरीक्षणकर्ता/नैसर्गिक अभिभावक एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि जमानत पर रिहा होने पर पुनरीक्षणकर्ता को किसी भी ज्ञात अपराधी के संपर्क या संगति में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी या किसी भी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आगे यह कि पिता यह सुनिश्चित करेगा कि किशोर अपराध को नहीं दोहराएगा।

(ii) पुनरीक्षणकर्ता/नैसर्गिक अभिभावक आगे इस आशय का एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि किशोर उचित स्तर पर अपना अध्ययन जारी रखेगा, जिसे उसे अन्य रचनात्मक गतिविधियों के अलावा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उसे अपना समय अनुत्पादक और अत्यधिक मनोरंजक गतिविधियों में बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) किशोर और पुनरीक्षणकर्ता/नैसर्गिक अभिभावक प्रत्येक कैलेंडर माह के पहले सोमवार को परिवीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे।

(iv) परिवीक्षा अधिकारी किशोर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगा और नियमित रूप से उसकी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को ऐसे आवधिक आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा, जो किशोर न्याय बोर्ड निर्धारित करे।

14 अगस्त, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अनुराग सिंह

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”